

08.05.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी द्वारा अपना मुल वाद पत्र डिक्री हो गया। प्रार्थी का मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर. टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.05.2022 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हा


01/21

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़